

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल

F.No.11/10(1)/2023/21


दिनांक: 31-07-2023

आदेश

संस्थान में भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न बिन्दुओं पर उचित कार्यवाही हेतु आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है:

- 1) समस्त संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, केन्द्राध्यक्ष एवं समस्त अनुभाग प्रभारी से अपेक्षा की जाती है की समस्त मूल पत्राचार एवं नस्ति (फाइलों) पर टिपण्णी (नोटिंग) हिंदी भाषा में किया जाना अनिवार्य है अथवा दविभाषी हों। इसके अभाव में किसी भी नस्ति पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
- 2) समस्त संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, केन्द्राध्यक्ष एवं समस्त अनुभाग प्रभारी से अपेक्षा की जाती है की अपने विभाग/प्रयोगशालाओं/अनुभाग की नाम पट्टिकाएं, स्वयं के नाम की नाम पट्टिकाएं एवं विभाग/केंद्र/अनुभाग की सारी पद मुद्राएँ हिंदी में हों अथवा दविभाषी हों।
- 3) समस्त विभागाध्यक्ष, केन्द्राध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है की अपने विभाग/केंद्र की नियमावली (मैन्युअल), प्रयोगशाला सूची (एक्सपेरिमेंट लिस्ट) आदि हिंदी भाषा में बनवाएं अथवा दविभाषी हों।

समस्त संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, केन्द्राध्यक्ष एवं समस्त अनुभाग प्रभारी अपने - अपने संकाय / विभाग / केंद्र / अनुभाग में इस आदेश की त्वरित प्रभाव से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।


निदेशक

प्रतिलिपि:

- 1) समस्त संकायाध्यक्ष
- 2) समस्त विभागाध्यक्ष/केन्द्राध्यक्ष
- 3) समस्त अनुभाग प्रभारी
- 4) प्रभारी, संस्थान वेबसाइट - अपलोड करने हेतु
- 5) निज सचिव कुलसचिव, कुलसचिव को सूचनार्थ
- 6) निज सचिव निदेशक, अभिलेख हेतु